मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण/अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

डीजी परिपत्र संख्या- 23 /2016

दिनांकःलखनऊःमई 6 ,2016

सेवा में,

समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

विषयः रिट याचिका संख्या-8237(एम/बी)/2015 राकेश सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनॉक 10-3-2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

.....

कृपया उपर्युक्त संदर्भित रिट याचिका के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 10-3-2016 के परिप्रेक्ष्य में जॉच कराये जाने पर यह तथ्य प्रकाश में आये हैं कि तकनीकी दृष्टि से विवेचकों को पूर्व में निर्धारित विवेचनात्मक कार्य पद्धति एवं सी0सी0टी0एन0एस साफ्टवेयर की पूर्ण जानकारी न होने के कारण से व्यवहारिक असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है।

2- उक्त परिस्थितियों में सभी निरीक्षक/उपनिरीक्षकों को सी0सी0टी0एन0एस0 साफ्टवेयर में प्रशिक्षण देकर तथा पुरानी पद्धति के अनुसार गवाहों के प्रकार एवं नये सी0सी0टी0एन0एस0 साफ्टवेयर में दिये गये विकल्पों में, कौन गवाह किस श्रेणी में आयेगा की जानकारी कराकर तद्नुसार प्रविष्टि की जाए, ताकि भविष्य में न्यायालय के समक्ष अभियुक्तों को दोषमुक्त अथवा दण्डित करने में किसी प्रकार की विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो सके ।

3- अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सभी परिक्षेत्रों में तकनीकी सेवाएँ, उ0प्र0 लखनऊ के सहयोग से सी0सी0टी0एन0एस0 पर स्थानीय वर्कशाप का आयोजन सुनिश्चित कराया जाय ताकि भविष्य में कोई त्रुटि उत्पन्न न हो । इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि सभी जोनल पुलिस महानिरीक्षक इन वर्कशाप में स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर इन वर्कशाप के आयोजन को सफल बनायेंगे ।

6.5

(जावीद अहमद)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने एवं इसका नियमित अनुश्रवण कराये जाने हेतु प्रेषित ।